



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : ०१ / यो०ब०-२२/२०२०- १५८

दिनांक :- २६.०२.२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/गुमला वन प्रमंडल, गुमला/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण तथा पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल रु० 225.340 लाख (दो कराड़ पचीस लाख चौंतीस हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-२५/२०२०-२६/स्वी० व०प० दिनांक-२७.०१.२०२१ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो० बजट-२५/२०२०-४०/आ० व०प० दिनांक-२९.०१.२०२१।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- ७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-५९-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 225.343 लाख (दो कराड़ पचीस लाख चौंतीस हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	69.500
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	155.840
कुल :-		225.340

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१(क से ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२(क से ख) एवं स्थल विवरणी अनुलग्नक-३(क से ख) पर तथा ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-४ पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनानांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। समय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor. भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका— VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-झापांक-686, दिनांक-05.02.2016

द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगमी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से करना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित करना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक—2341 दिनांक—04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय—समय पर निर्गत योजना—सह—वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

जिन वन प्रमंडलों से स्थल विवरणी अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं नियंत्री पदाधिकारी स्थल विवरणी उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे। जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में प्लॉट संख्या एवं जी०पी०एस० कॉ—ऑर्डिनेट्स अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का प्लॉट संख्या एवं जी०पी०एस० कॉ—ऑर्डिनेट्स उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो०ब०—२२ / २०२०— ५५ दिनांक— २६.०२.२०२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगाना, दुमका/उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ दुमका/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—22 / 2020— 155 दिनांक— 28.02.2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ गुमला/ सरायकेला/ चाईबासा/ पाकुड़/ जमशेदपुर/ लातेहार/ दुमका/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित गुमला गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्यों का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			212.98	922.75	1135.73
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	3000	6.388	27.683	34.071
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	800	1.704	7.382	9.086
3	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	800	1.704	7.382	9.086
4	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	800	1.704	7.382	9.086
5	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	600	1.278	5.536	6.814
6	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	600	1.278	5.536	6.814
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	1700	3.620	15.687	19.307
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	2000	4.260	18.455	22.715
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	2000	4.260	18.455	22.715
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेंगा	1300	2.768	11.996	14.764
योग :-		13600	28.964	125.494	154.458



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्यों का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			612.31	458.40	1070.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	1250	7.654	5.730	13.384
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	500	3.062	2.292	5.354
3	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	620	3.796	2.842	6.638
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	500	3.062	2.292	5.354
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	1000	6.123	4.584	10.707
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	500	3.062	2.292	5.354
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	1000	6.123	4.584	10.707
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	1250	7.654	5.730	13.384
योग :-		6620	40.536	30.346	70.882



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित — गमला गैबियन वृक्षारोपण

गैबियन का आकार — उपर का व्यास रींग 2'5"
 बीच का व्यास रींग 2'0" एवं नीचे का व्यास रींग 1'5", ऊँचाई — जमीन से उपर 5'3" तथा एक फीट गहरा जमीन में एवं 9" की पत्ती मुड़ी जो आगे से कटी हुई हो।

स्पेसिंग -- पंकित से पंकित की दूरी - 3 मी०

कार्य दर — एक गैबियन

पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०

मजदूरी प्रति मानव दिवस: 295.80 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 295.80							
1	घेरान कार्य						
क	गैबियन हेतु हरे रंग का hexagonal आकार का पॉलीनेट (thickness of filament 4mm, thickness of joint 5.5mm, 550 GSM, Polynet @ Rs 85/sq.mtr.) का क्रय	3.5 sq.mtr	0.00	0.00	297.50	297.50	
ख	लोहे की पत्ती (5mm thick, 20mm wide, 40 feet length) का क्रय एवं गैबियन निर्माण (रु० 65/- प्रति किलो कुल 9 किंग्रा०)	प्रति गैबियन	0.40	118.32	485.00	603.32	
ग	गैबियन का खूंटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूंटा गाड़ने हेतु 1' x 6" x 6" आकार के 3 गढ़ों को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढलाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	44.37	20.25	64.62	
घ	प्लास्टिक स्टेपलस का क्रय एवं स्टेपलस को पॉलीनेट एवं लोहे के पत्ती के साथ बाहर से बाधना।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
ड.	सामान की ढुलाई प्रति गैबियन रु० 50/-	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
च	गैबियन की लोहा पत्ती पर पाउडर कोटेड पेंट।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित रस्त पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	50.29	0.00	50.29	
योग			0.72	212.98	922.75	1135.73	
(B) वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 340 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए							
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ रस्त पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	51.00	20.00	71.00	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	34.00	2.00	36.00	
4	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगाने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	51.00	4.50	55.50	
5	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	170.00	25.00	195.00	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	170.00	0.00	170.00	
7	साईंन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
योग			1.40	476.00	96.50	572.50	

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैवियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) गजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 391 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की रिथति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैवियन	0.15	58.65	4.50	63.15	
2	पटवन (रिक्षा /ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	195.50	5.00	200.50	
3	गैवियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	195.50	60.00	255.50	
	योग		1.15	449.65	69.50	519.15	
(D)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 450 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की रिथति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैवियन	0.15	67.50	4.50	72.00	
2	पटवन (रिक्षा /ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	225.00	5.00	230.00	
3	गैवियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	225.00	60.00	285.00	
	योग		1.15	517.50	69.50	587.00	
	कुल योग		4.42	1656.13	1158.25	2814.38	

- नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।
(2) गैवियन पर गैवियन संख्या अंकित की जाएगी।
(3) गैवियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(4) प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(5) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।
(6) चार वर्षों की योजना समाप्ति के पश्चात् पोलीनेट जाली को खोलकर इसे recycle करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन



अपर प्रधान बुद्ध्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

**योजना का नाम— पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बॉस गैवियन के साथ वृक्षारोपण
की अनुसूचित कार्य दर**

1. बॉस—गैवियन का आकार: 6'-6" x 2'-6" x 2'-6"

पंक्ति से पंक्ति की दूरी — 3 मी०

3. मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 295.80 रुपये

2. स्पेसिंग —

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2020-21 में आग्रम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर-प्रति मानव दिवस : रु० 295.80							
1	घेरान कार्य						
क	बॉस का खूँटा —4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'-6") एवं जाफरी हेतु बॉस (कुल 4 बॉस @ 80.00 रु., प्रति प्रामीण बॉस) दुलाई सहित	प्रति गैवियन	0.00	0.00	320.00	320.00	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैवियन	1.00	295.80	0.00	295.80	
ग	खूँटों की कोलतार/ब्लेक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैवियन	0.20	59.16	6.00	65.16	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	प्रति गैवियन	0.30	88.74	90.00	178.74	गर्म पेंट में डूबाकर रंगाई की जायेगी। गैवियन को एक हरा-एक लाल alternate रूपायित किया जायेगा।
ड	गैवियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार रामतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गढो को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित रथल पर संचित करना	प्रति गैवियन	0.20	59.16	0.00	59.16	
घ	जाफरी सहित खूँटा लगाना—4 खूँटा —20 खूँटा प्रति मानव दिवस (दुलाई सहित)	प्रति गैवियन	0.20	59.16	15.00	74.16	
१	जाफरी हेतु	प्रति गैवियन		0.00		0.00	
	(1) तार 100 ग्राम (67/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	6.70	
	(2) काटी 300 ग्राम (69/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	20.70	
२	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गडडा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित रथल पर संचित करना	प्रति गैवियन	0.17	50.29	0.00	50.29	
	योग		2.07	612.31	458.40	1070.71	
(B) वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए							
१	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिरक्षण हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ रथल पर दुलाई सहित	प्रति गैवियन	0.00	0.00	25.00	25.00	छ. कीट ऊँचाई के काले फलदार एवं शोभाकार प्रजानि के Evergreen पौधे लगाए जाएंगे
२	गडडे में डालने हेतु वालू, एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं नियन्त्रण बनाना (वालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैवियन	0.15	51.00	20.00	71.00	
३	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैवियन	0.10	34.00	2.00	36.00	
४	तीन कोडुनी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की रिथति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वरदलाव	प्रति गैवियन	0.15	51.00	4.50	55.50	
५	पठवन (रिक्षा / ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	170.00	25.00	195.00	
६	सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	170.00	0.00	170.00	
७	साईंन-बोर्ड एवं गैवियन नंबरिंग	प्रति गैवियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	476.00	96.50	572.50	

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की रिथति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैवियन	0.15	58.65	4.50	63.15	
2	पटवन (रिक्षा /ठेला हारा)	प्रति गैवियन	0.50	195.50	5.00	200.50	
3	वॉस गैवियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	195.50	60.00	255.50	
	योग		1.15	449.65	69.50	519.15	
(D)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की रिथति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैवियन	0.15	67.50	4.50	72.00	
2	पटवन (रिक्षा /ठेला हारा)	प्रति गैवियन	0.50	225.00	5.00	230.00	
3	वॉस गैवियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	225.00	60.00	285.00	
	योग		1.15	517.50	69.50	587.00	
	कुल योग		5.77	2055.46	693.90	2749.36	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत पी०वी०सी० जाली से निर्मित गमला गैविन से वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र० सं०	प्रमङ्गल का नाम	प्रदेश का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना / थाना नं०	स्थल का नाम	जी०पी०एस० कॉ०-आॅडिनेट्स	प्लॉट न०	रक्षा गो० मे०
1	सामाजिक वानिकी प्रमङ्गल, दुमका	सांवाठप्रक्षेत्र, दुमका			लघु सिंचाई प्रमङ्गल कायालिय			2000
2	गमला वन प्रमङ्गल, गुमला	विश्वनुर वन क्षेत्र			मसरिया मौड से जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला तक			800
3	पाकुड़ वन प्रमङ्गल, पाकुड़	पाकुड़ वन प्रक्षेत्र	पाकुड़-42	दुर्गापुर नसरी के सामने का मैदान	N24°3'52.90" E87°49'11.90"			600
4	सारगड़ा वन प्रमङ्गल, चाईबासा	सामता प्रक्षेत्र, जराईकेला		पारोडीह से पचपहिया तक सङ्क	के दोनों किनारे			200
		जुवा प्रक्षेत्र, जुवा		नईया पेट्रोल पम से नईया गाँव होते हुए लिपुंगा मोड तक सङ्क के दोनों तरफ		N22°13'34.91" E85°23'20.20" N22°13'33.23" E85°23'49.26" N22°13'46.51" E85°23'56.95" N22°14'04.76" E85°23'57.38"		200
		सासगंदा प्रक्षेत्र, किरीबुरु		एटीएम भेघाहुबुरु से सनसेट पैइंट तक सङ्क किनारे		N22°06'42" E85°17'22" N22°07'04" E85°17'16"		100
		कोयना प्रक्षेत्र, मनोहरपुर		फिल्टर लाट रोड से मीना बाजार तक सङ्क किनारे		N22°06'57" E85°17'16"		100
				हथी चोक नाका मनोहरपुर से बख्तोमगुद चोक नाका तक पी०डब्ल्यू०डी० रोड के दोनों किनारे				200

क्र० सं०	प्रमङ्गल का नाम	प्रधन का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल का नाम	जीविपीएस० को-आईनेटस	लॉट न०	रक्का (मि० मी)
	सांवाठप्रक्षेत्र, आदित्यपुर	जमशेदपुर	जमशेदपुर	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, जमशेदपुर	N22°7'54.95 E86°20'03.92			200
	सांवाठप्रक्षेत्र, आदित्यपुर	गहरिया	सरायकेला	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, गहरिया	N22°8'13.475 E86°10'59.91			300
	सांवाठप्रक्षेत्र, चाटशिला	चाटुलिया	चाटशिला-328	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, चाटुलिया	N22°28'28.3 E86°42'56.5			300
5	सामाजिक वानिकी प्रमङ्गल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	धाटशिला	धाटशिला	धाटशिला-896	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, बहरागोडा	N22°16'30.3 E86°44'40.8		200
	सांवाठप्रक्षेत्र, चाडिल	पटमदा	पटमदा-149	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, पटमदा	N22°54'8.3034 E86°22'58.4482			500
	सांवाठप्रक्षेत्र, चाडिल	कुकड़	चांडिल	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, कुकड़				200
6	रँची वन प्रमङ्गल, रँची			मध्य विद्यालय, पिरका	N23.38406 E822974			250
	रँची पूर्वी वन क्षेत्र, महिलोंग			पंचायत भवन, पिस्का	N23.419219 E85.838631			70
				मध्य विद्यालय, कुमुमिकरा	N23.414804 E85.838631			300
				सरना स्थल कुमुमिकरा	N23.419219 E85.840097			130
				मध्य विद्यालय, कमलामाईल	N23.34574 E85.733392			250
	रँची वनरोपण प्रक्षेत्र, बेड़ी			चन्द्रशेखर मैदान शित शिव मादिर कैम्पस				250
	बेड़ी प्रखण्ड कार्यालय प्रागण							50
	इंटकी प्रखण्ड कार्यालय प्रागण							50
	बुढ़मू वन क्षेत्र, माणडर			करगे नावाटोली से ठाकुरगाँव	N23.507769 E85.141308			1000
	रँची वनरोपण प्रक्षेत्र, रँची			दिव्यान तालाब, मोरहाबादी	N23°23'48" E85°20'14"			100
				सरहुल नगर डीआई०जी० प्राउण्ड	N23°23'12" E85°20'49"			250
				हातमा तालाब	N23°23'28" E85°19'11"			50

क्र० सं०	प्रमाणदल का नाम	प्रधान का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल का नाम	जीवीपीएस० कोड-ऑफिसेटस	लॉट नं०	रक्खा नं० मे
					जतरा टोँड, संकल्प करतब, सिन्धवार टोली	N23°24'14" E85°19'59"		100
					अमृत बिहार, बैक, कॉलोनी	N23°24'49" E85°20'56"		100
					भरम टोली	N23°25'01" E85°21'09"		50
ग्रंथ:-								3000
7	सामाजिक वानिकी प्रमाणदल सिमडेंगा	साठवांप्रक्षेत्र, सिमडेंगा	बासजोर प्रखण्ड (सिङ्क के दोनों तरफ)					100
		साठवांप्रक्षेत्र, कुरडेंगा	जलडेंगा विलियम चौक से टीगिया (सिङ्क के दोनों तरफ)					400
ग्रंथ:-								1300
8	सरायकेला वन प्रमाणदल,							800
	सरायकेला							800
ग्रंथ:-								
9	चाईबासा वन प्रमाणदल,							600
	चाईबासा							600
10	सामाजिक वानिकी प्रमाणदल, लातेहार							2000
								2000
मकल योग:-								13600

अपर प्रधान मुख्य तन संस्करक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

**वितीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना
(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का स्थल
विवरणी**

क्र० सं०	प्रमङ्गल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल का नाम	जी०पी०एस० कॉ०-ऑफिनेट्स	प्लॉट नं०	रक्खा (मी० मे०) मे०
1	सामाजिक वानिकी प्रमङ्गल, तुमका	साठवाठप्रक्षेत्र, तुमका	साठवाठप्रक्षेत्र, गिरारीपाडा	साठवाठप्रक्षेत्र, रानीश्वर	प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय परिसर, रानीश्वर	सिद्धो कान्ह मुर्म विश्वविद्यालय परिसर, तुमका		400
		साठवाठप्रक्षेत्र, जामताडा	करमाटांड	चैनपुर-114	चैनपुर ब्लॉक	शारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय, करमाटांड		450
		गुमला वन प्रमङ्गल, गुमला	कुरुमगढ़ वन क्षेत्र	डुमरी-145	रायडीह ब्लॉक			200
2								1250
3	साराएडा वन प्रमङ्गल, चाइबासा	सामरा प्रक्षेत्र, जर्साईकेला	रिमिडीह माकरण्डा तक सड़क के दोनों किनारे	रुंगटा माईस्स गेट के समने से रुंगटा ऑफिस होते हुए लिपुगा मोड तक सड़क के दोनों तरफ	N22°14'00.31" E85°23'30.17" N22°14'02.22" E85°23'40.40" N22°14'06.46" E85°23'46.55" N22°14'04.76" E85°23'57.38"			155
	गुवा प्रक्षेत्र, गुवा							155

अपर प्रधान मुख्याविन संसदीक, विकास,
झारखण्ड, गोंयी।



आवंटन आदेश

आरखड सरकार

घात्क वितीय तर्फ 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2020/155

दिनांक - 26-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82365	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	1,404,200.00 रुपये चौदह लाख चार हजार दो सौ
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82366	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	476,600.00 रुपये चार लाख छहत्तर हजार छँसी
				1,880,800.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये अठारह लाख अस्सी हजार आठ सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आर्वाणि राशि
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82368	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	170,400.00 रुपये एक लाख सत्तर हजार द्वारा सौ
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82369	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS	550,000.00 रुपये पाँच लाख पचास हजार आठ सौ
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82370	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	127,800.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार आठ सौ
<hr/>				
योग:				848,200.00
क्रमिक योग:	रुपये सत्ताइस लाख उन्तीस हजार			2,729,000.00
<hr/>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82371	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	127,800.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार आठ सौ
7	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82372	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	974,300.00 रुपये नौ लाख चौहत्तर हजार तीन सौ
8	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82373	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	306,200.00 रुपये तीन लाख छः हजार दो सौ

योग:

क्रमिक योग:

रुपये इकत्तालीस लाख सैतीस हजार तीन सौ

1,408,300.00

4,137,300.00


(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601796590103	82374	LTRFOR004	1,038,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SAUMITRA SHUKLA	रुपये दस लाख अड्डीस हजार तीन सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. S.F.D LATEHAF	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01 - बेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
10	S 19 240601796590103	82377	DMKFOR003	1,191,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN (I.F.S)	रुपये ग्यारह लाख इनकानवे हजार सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01 - बेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
11	S 19 240601796590103	82379	SDGAI002	583,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ASHOK KUMAR GUPTA	रुपये पाँच लाख तिरवासी हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DIV. F O SOC.	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		FORESTRY SIMDEGA	
	01 - बेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
योगः				2,812,700.00
क्रमिक योगः				6,950,000.00
 ADDL. PCCF, DEV.JHARKHAND NAND KISHORE SINGH				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601796590323	82382	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	3,341,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		रुपये तैतीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ	
State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
Central Scheme :	NA			
13	S 19 240601796590323	82385	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	967,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		रुपये नौ लाख सङ्क्षठ हजार चार सौ	
State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
Central Scheme :	NA			
14	S 19 240601796590323	82386	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	738,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		रुपये सात लाख अड़तीस हजार दो सौ	
State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
Central Scheme :	NA			

योग: 5,046,900.00

क्रमिक योग: 11,996,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82388	SGHFOR011 CHANDRAMAULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS	1,022,400.00 रुपये दस लाख बाइस हजार चार सौ
16	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82391	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	553,600.00 रुपये पाँच लाख तीरपन हजार छः सौ
17	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	82393	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	553,600.00 रुपये पाँच लाख तीरपन हजार छः सौ
<hr/>				
योग:				2,129,600.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड इकतालीस लाख छव्वीस हजार पाँच सौ			14,126,500.00
<hr/>				
Page 6 of 8	157.42.253.4	RANCH	Run Date: 26/2/2021	

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601796590323	82395	JSRFOR116	2,027,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUNIL KUMAR	रुपये बीस लाख सत्ताइस हजार एक सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.	
	59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		S.F.DIV.ADITYAPUR	
	03 - प्रशासनिक व्यय		JSR.	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
19	S 19 240601796590323	82398	SGHFOR001	229,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI. MAHALING (I.F.S.)	रुपये दो लाख उन्तीस हजार दो सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.SOCIAL	
	59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		FORESTRY DIV.CBSA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
20	S 19 240601796590323	82399	LTRFOR004	2,303,900.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SAUMITRA SHUKLA	रुपये तेइस लाख तीन हजार नौ सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. S.F.D LATEHAF	
	59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		

योग:

4,560,200.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ छियासी लाख छियासी हजार सात सौ

18,686,700.00


(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601796590323	82400	DMKFOR003	2,418,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN (I.F.S)	रुपये चौहस लाख अठारह हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	पॉच सौ
	59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति ग्रंथ सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
22	S 19 240601796590323	82403	SDGAIF002	1,428,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ASHOK KUMAR GUPTA	रुपये चौदह लाख अठाइस हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DIV. F O SOC.	आर सौ
	59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		FORESTRY SIMDEGA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति ग्रंथ सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		

योग: 3,847,300.00
 क्रमिक योग: 22,534,000.00
 रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख चौतीस हजार

(NAND KISHORE SINGH)
 ADDL. PCCE DEV.JHARKHAND